

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ० बजट आवंटन-24/2013-74 (आवंटन)/कृ० पटना दिनांक 26.07.2013, पत्र संख्या 03/2013-79 आवं०/कृ० पटना दिनांक 06.08.2013, पत्र संख्या 03/कृ० बजट आवंटन-24/2013-109 (आवंटन)/कृ० पटना दिनांक 20.08.2013 एवं पत्र संख्या 03/कृ० बजट आवंटन-24/2013-140 (आवंटन)/कृ० पटना दिनांक 14.09.2013 द्वारा क्रमशः 9714855.00 (सनतानबे लाख चौदह हजार आठ सौ पचपन), 9996445.00 (निन्यानबे लाख छियानबे हजार चार सौ पैंतालीस), 8447700.00 (चौरासी लाख सैंतालीस हजार सात सौ) तथा 39704000.00 (तीन करोड़ सनबानबे लाख चार हजार) अर्थात कुल 67863000.00 (छह करोड़ अठहत्तर लाख तिरेसठ हजार) रुपये का आवंटन खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-01-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड- P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-56 83, विषय शीर्ष 33 01-सब्सिडी में पटना जिला को चालू खरीफ मौसम में धान का बीज गिराने, बीज स्थली में बिचड़ा को बचाने, बीचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गये खड़े फसल की सिंचाई करने एवं मक्का की सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान मद में प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 831/आ०प्र० दिनांक 02.08.13, 915/आ०प्र० दिनांक 20.08.13, 1030/आ०प्र० दिनांक 02.09.13 तथा 1150/आ०प्र० दिनांक 20.09.2013 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित किया गया है।

पुनः सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ० बजट आवंटन-24/2013-141 (आवंटन)/कृ० पटना दिनांक 16.09.2013 द्वारा उक्त मद में कुल 2,06,16,400.00 (दो करोड़ छह लाख सोलह हजार चार सौ) रुपये आवंटन प्राप्त है जिसे निम्न रूपेण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि की निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	उपावंटित पदाधिकारी का पदनाम	खरीफ मौसम मे धान एवं मक्का का रकवा (हेक्टेयर में)	पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रुपये में)	पूर्व में द्वितीय किश्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रुपये में)	पूर्व में तृतीय किश्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रुपये में)	पूर्व में चतुर्थ किश्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रुपये में)	कुल उपावंटित राशि(4+5+6+7+8) (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्र०वि०पदा०, पटना सदर	994	76050	78250	66126	310800	161384	692610
2	प्र०वि०पदा०, फुलवारीशरीफ	6534	499912	514410	434712	2043130	1060900	4553064
3	प्र०वि०पदा०, सम्पतचक	4517	345592	355610	300515	1412420	733400	3147537
4	प्र०वि०पदा०, फतुहा	5793	443218	456066	385408	1811410	940578	4036680
5	प्र०वि०पदा०, खुशरूपुर	3611	276275	284284	240240	1129120	586298	2516217
6	प्र०वि०पदा०, दनियावाँ	2647	202520	208390	176104	827688	429778	1844480
7	प्र०वि०पदा०, मसौढ़ी	11460	876798	902210	762431	3583410	1860694	7985543
8	प्र०वि०पदा०, धनरूआ	7245	554310	570378	482009	2265430	1176330	5048457
9	प्र०वि०पदा०, पुनपुन	5048	386220	397414	335842	1578454	819616	3517546
10	प्र०वि०पदा०, दानापुर	4662	356686	367029	310166	1457766	756948	3248595
11	प्र०वि०पदा०, मनेर	4490	343528	353484	298720	1403976	729020	3128728
12	प्र०वि०पदा०, बिहटा	10497	803120	826400	698366	3282300	1704344	7314530
13	प्र०वि०पदा०, बिक्रम	9041	691720	711770	601496	2827016	1467936	6299938
14	प्र०वि०पदा०, दुल्हिन बाजार	6024	460892	474250	400775	1883632	978080	4197629
15	प्र०वि०पदा०, पालीगंज	13972	1068990	1099974	929556	4368892	2268560	9735972
16	प्र०वि०पदा०, नौबतपुर	11961	915128	941654	795764	3740070	1942040	8334656
17	प्र०वि०पदा०, बाढ़	2630	201220	207050	174970	822364	427016	1832620
18	प्र०वि०पदा०, अथमलगोला	2542	194486	200124	169118	794852	412730	1771310
19	प्र०वि०पदा०, बेलछी	2361	180640	185874	157076	738258	383342	1645190
20	प्र०वि०पदा०, बख्तियारपुर	3940	301446	310184	262130	1231996	639716	2745472
21	प्र०वि०पदा०, पंडारक	3248	248502	255706	216090	1015616	527360	2263274
22	प्र०वि०पदा०, मोकामा	1726	132056	135882	114830	539700	280240	1202708
23	प्र०वि०पदा०, घोसवरी	2033	155546	160052	135256	635700	330090	1416644
कुल उपावंटित राशि-		126976	9714855	9996445	8447700	39704000	20616400	88479400

244
28-09-013.

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप व्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड- P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-56 83, विषय शीर्ष 3301-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3729/कृ0 दिनांक 24.07.2013 एवं पत्रांक 4525/कृ0 दिनांक 09.09.2013 में निहित निदेशों एवं शर्तों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3729/कृ0 दिनांक 24.07.2013 के आलोक में एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुमान के अनुसार 25 रूपया प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 250 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से, अनुदान अनुमान्य किया जाना है। एक किसान को एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई हेतु 750 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान भुगतान किया जाना है। धान के लिए 3 सिंचाई, धान बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई एवं मक्का के लिए 3 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान अनुमान्य किए जाने से संबंधित निदेश प्राप्त हुआ था। पुनः सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4525/कृ0 दिनांक 09.09.2013 के आलोक में धान की मुख्य फसल तथा मक्का के लिए पूर्व से स्वीकृत 3 सिंचाई के अतिरिक्त 1 और सिंचाई, कुल 4 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। धान बिचड़ा पर दो सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ पूर्व की तरह किसानों को दिया जाएगा।

4. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। व्यय की गई राशि का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2री तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा राशि व्यय के पश्चात टी0भी0 सं0 के साथ व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड एवं मांग संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृपया एक विपत्र पर एक ही उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

6. उपावंटित राशि में से 80 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने पर अगर माँग अवशेष बचता हो तो अतिरिक्त राशि की माँग संबंधित सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र भेजा जाय ताकि राशि की माँग राज्य सरकार से किया जा सके।

7. यह उपावंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

8. यदि उपर्युक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 31.12.2013 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर इसे बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1202 आ0प्र0, दिनांक 28/9/13

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, मसौढ़ी, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि:- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।